न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

अपील संख्या 31 / 2024

श्रीमती पुष्पा कांजानी पत्नी स्व0 श्री कुन्दनदास कांजानी जाति सिन्धी आयु लगभग 71 वर्ष, निवासी मकान संख्या 239 / 21, सिन्धु बाड़ी,"बी ग्रुप" सुखाडिया नगर, अजमेर (राज0)

.....अपीलान्ट

बनाम

गीता कांजानी उर्फ गीतिका कांजानी पुत्री स्व0 श्री कुन्दनदास कांजानी जाति सिन्धी आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी मकान संख्या 239 / 21, सिन्धु बाडी, बी ग्रुप सुखाडिया नगर, पी. एस. क्लॉक टावर, अजमेर (राज)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश 39 / 2023 दिनांक 19.04. 2024 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :– 04.09.2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) के आदेश दिनांक 19.04.2024, जिसमें "प्रार्थी / (अपीलान्ट), अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) हैं। प्रार्थिया विधवा महिला है। अपीलार्थी / प्रार्थीया की अप्रार्थीया गीता कांजानी की पुत्री है जिसकी आयु 48 वर्ष हो चुकी है और वह अपीलांन्ट / प्रार्थीया के साथ ही उक्त मकान में निवास कर रही है। अपीलांट / प्रार्थीया ने दिनांक 23.07.1987 को स्वयं की बचत से उक्त आवास क्रय किया गया जिसकी मालिक प्रार्थीया स्वयं है उक्त सम्पत्ति क्रय करने के बाद प्रार्थीया ने उसमें प्रथम मंजिल का निर्माण करवाया ताकि पूरा परिवार उसमें रह सके। प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास हो गया था, प्रार्थीया के दो पुत्र एवं तीन पुत्रियॉ है, दोनो गत 25 वर्षो से विदेश में कार्यरत रहते हुए प्रार्थीया को खर्चा / भरण–पोषण भेजते है, सबसे बडी पुत्री भी विदेश में रह रही है तथा सबसे छोटी पुत्री नीता प्रार्थीया के साथ इसी मकान में निवास करते हुए प्रार्थीया की देख–रेख करती है जबकि प्रार्थीया की पुत्री गीता जो कि अविवाहित है, प्रार्थीया की इसी सम्पत्ति में रहते हुए प्रार्थीया का जीवन नर्क बनाया हुआ है। उक्त सम्पत्ति से अप्रार्थीयॉ को बाहर नहीं निकालने जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय / पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय अजमेर के समक्ष एक शिकायत अन्तर्गत

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलेक्टर
अजमेर

धारा 4 माता–पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दिनांक 26.10.2023 को इस आशय की प्रस्तुत की थी कि अप्रार्थीया गीता कांजानी प्रार्थीया पुष्पा कांजानी की पुत्री है जिसकी आयु 48 वर्ष हो चुकी है और वह प्रार्थीया के साथ ही उक्त मकान में निवास कर रही है। प्रार्थीया ने उक्त परिसर जिसमें निवास कर रहे है, जिसका नाप 82.70 वर्ग मीटर है, जिसमें दो कमरे, बरामदा, किचन, लेट्रीन, बाथरूम स्टेयर केस वाके सुखाडिया नगर ''बी ग्रुप'' कॉलोनी अजमेर में अवस्थित है को प्रार्थीया ने दिनांक 23.07.1987 को स्वयं की बचत से क्रय किया था, जिसकी तनह मालिक प्रार्थीया स्वयं है, उक्त सम्पत्ति क्रय करने के बाद प्रार्थीया ने उसमें प्रथम मंजिल का निर्माण करवाया ताकि पूरा परिवार उसमें रह सके। प्रार्थियाँ के पति एक अकाउन्टेन्ट थे, जिनका लगभग 30 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया था, प्रार्थीया के दो पुत्र एवं तीन पुत्रियां है, दोनो पुत्र पिछले 25 वर्षो से विदेश में कार्यरत रहते हुए प्रार्थीया को खर्चा/भरण–पोषण भेजते है, सबसे बडी पुत्री भी विदेश में रह रही है तथा सबसे छोटी पुत्री नीता प्रार्थीया के साथ इसी मकान में निवास करते हुए प्रार्थीया की देख–रेख करती है जबकि प्रार्थीयां की पुत्री गीता जो कि अविवाहित है, प्रार्थीया की इसी सम्पत्ति में रहते हुए प्रार्थीया का जीवन नर्क बनाया हुआ है। अप्रार्थीया गीता को अन्य बच्चो की तरह प्रार्थीया ने अच्छी शिक्षा दिक्षा दी व उसके स्वयं अपनी इच्छा से विवाह नहीं किया, जो कि उसकी अपनी च्वॉईस रही है, परन्तु अविवाहित रहते हुए समय के साथ–साथ अप्रार्थीया गीता एक क्रिमिनल प्रवृति की महिला हो गई है, उसने धीरे–धीरे रूपये पैसो की लालच में अनेको लोगों के साथ फॉड करना शुरू कर दिया व यहॉ तक की उसमें अपनी माता प्रार्थीया/अपीलार्थीया को भी नहीं बख्शा। उसके आंतकी रूप से प्रार्थीया इस हद तक भयभीत रहती है कि प्रार्थीया का जीवन नर्क बन चुका है, अप्रार्थीया गीता ने प्रार्थीया को उम्र के इस पडाव में अनेकों तरीको/अथकण्डों से हैरान परेशान कर रखा है। अप्रार्थीया प्रार्थीया के साथ आये दिन गाली–गलौच करती है, शुरू–शुरू में छोटी–मोटी रूपयों–पैसों की चोरियॉ करती थी तो प्रार्थीया ने बेटी होने के नाते उसे खूब समझाने की कोशिश की परन्तु उसकी समझ में नहीं आता तथा वह आए दिन नए–नए गलत तरीकों से पैसा कमाने की आदि होती चली गई। जैसे–जैसे समय बीतता चला गया उसने हर प्रकार की बुरी आदते अपना ली। प्रार्थीया से रूपये पैसे न मिलने पर वह अपनी दहशत प्रार्थीया को दिखाने के लिए घर में रखी वस्तुओं को नुकसान पहुॅचाती, प्रार्थीया के घर से बाहर जाने पर पीछे से प्रार्थीया के कमरे एवं अलमारी का ताला तोड कर उसमें रखे रूपये व ज्वैलरी आदि चुरा लेती। बेटी होने के नाते प्रार्थीयां पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवा पाती थी, जिसका अप्रार्थीया गीता ने हमेशा से फायदा उठाया और आज तक उठा रही है। वहीं इस प्रकार चुराई हुई ज्वैलरी को अप्रार्थीया गीता ने मुथुट फाईनेंस रामगंज अजमेर पर गिरवी रख कर गोल्ड लोन उठा लिया। प्रार्थीया की जानकारी में उक्त तथ्य आने पर गोल्ड लोन की किश्तों तक को प्रार्थीया को भरना पडता, परन्तु फिर अप्रार्थीया की धमकियों की वजह से प्रार्थीया उक्त गोल्ड को मुथुट फाईनेन्स से छुडवाकर वापस घर पर इसलिए नहीं लाना चाहती थी ताकि अप्रार्थीया फिर से उसे चुराकर वापस उसका दुरूपयोग न कर लेगी, वहीं चूॅकि गोल्ड लोन से प्राप्त पैसे को अप्रार्थीया द्वारा खा–पी लिया था और उसने प्रार्थीया को किश्ते भरने से भी मना कर दिया था तो प्रार्थीया ने भी गोल्ड लोन की बकाया किश्तों को नहीं चुकाया तो अप्रार्थीया गीता द्वारा गिरवी रखवाए गए प्रार्थीया के गोल्ड लोन की किश्ते नहीं भरने पर मुथुट फाईनेन्स द्वारा उक्त गोल्ड को नीलाम कर दिया। यही नही अप्रार्थीया गीता अब तक पैसों का गबन करने, हेरा–फेरी करने में माहिर हो चुकी है जिसके लिए

जिला कलक्टर
अजमेर

उसने गत कई वर्षो से अनेकों अवैध कृत्य करना जैसे अप्रार्थीया गीता ने कई लोगो से चैक व स्टेम्प जारी कर उनसे ऋण प्राप्त कर लेने के बाद उसे चुकता नहीं करने पर लोगो का अप्रार्थीया के घर पर आकर हंगामा करना हमारे घर में आम बात होती जा रही है, इस सब अवैध कृत्यों से अप्रार्थी की हिम्मत बढती रही, उसका यही मानस बनता रहा कि लड़की होने के नाते पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड सकती। पैसा उधार लेने व नहीं चुकाने पर जब लोग घर पर पैसा मॉगने आते है तो वह उनके साथ गाली–गलौच करती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है,उसके इस तरह व्यवहार के चलते एवं आए दिन मॉगने वालों के घर पर खडे रहने से प्रार्थीया/अपीलार्थी को समाज में सिर नीचे झुकाकर चलना पडता है। अप्रार्थीया गन्दी–गन्दी गालियॉ देकर अपमानित करती है, घर के बर्तन व अन्य सामान उठा कर फैंकती है, मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए तोड–फोड करती है व दहशत फैलाती है, उसे पता है कि मॉ को मानसिक अपवाद कारित करूंगी तो वह डर जाएगी और पैसे निकाल कर दे देगी। इस प्रकार उम्र के इस पडाव में अप्रार्थीया गीता ने प्रार्थीया का जीवन नर्क बना रख है, प्रार्थीया/अपीलार्थीया अपने ही घर में रहते हुए जीवन के बचे हुए पलों को दहशत में जी रही है। अप्रार्थीया गीता अच्छी पढी लिखी महिला है जो ट्यूशन पढा कर महीने में करीब 15,000/– से 20,000/– रूपये कमा लेती है। प्रार्थीया के साथ प्रार्थीया के घर में रहते हुए उसने कई वर्षो से अपना खान–पान/किचन आदि अलग कर रखा है वह अलग पकाती खाती है व उच्च स्तर की जीवन शैली में विश्वास रखती है, अप्रार्थीया अपनी माता अर्थात मुझ प्रार्थीया को अकसर स्वर्गीय शब्दो के साथ सम्बोधित करती है, मेरा उपहास उडाती है, वह प्रार्थी को डराने के इरादे से तथा प्रार्थीया को भय–भीत करने के इरादे से आधी–आधी रात को बिना किसी बात के जोर–जोर से चिल्लाने लगती है, उसे जानकारी है कि प्रार्थीया हृदय रोग से पीडित है व उसके इस प्रकार के व्यवहार से प्रार्थीया को अत्यधिक मानसिक तनाव व घबराहट होती है परन्तु अप्रार्थीया जान–बूझकर ऐसे कृत्य इसलिए करती है ताकि येन–केन प्रकरण प्रार्थीया का स्वर्गवास हो जाए तथा वह प्रार्थीया की इस सम्पत्ति को बेच देवे और एक बडी राशि प्राप्त कर सके। प्रार्थीया के दोनों पुत्र जो कि विदेश में जीवन निर्वहन कर रहे है, प्रार्थीया को हर माह कुछ राशि उसके भरण–पोषण वास्ते भेजते है जिस पर अप्रार्थीयां की नजरे गड़ी रहती है, अप्रार्थीया वह तमाम कोशिश करती है कि प्रार्थीया को उसके बेटों से मिलने वाली मासिक राशि को जैसे तैसे निकलवा लेवे जिसके लिए वह तमाम साम, दण्ड, भेद अपनाती है, व जब नहीं निकलवा पाती है तो पैसे चोरी कर लेती है। अप्रार्थीया के आतंक से अत्यधिक परेशान होने के बाद प्रार्थीया ने एक परिवाद दिनांक 21.02.2023 को पुलिस थाना क्लॉक टावर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसके परिणामस्वरूप पुलिस द्वारा अप्रार्थीया के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 107. 116(3) की कार्यवाही अमल में लाई जाकर उसे उसी समय जमानत मुचलको पर छोड़ दिया जिसके बाद से अप्रार्थीया का आतंक और अधिक बढ गया। अप्रार्थीया को उक्त धमकियों एवं रोज–रोज के लडाई झगडो से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थीया ने एक परिवाद अन्तर्गत धारा 04 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्टेट अजमेर महोदय के न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.12.2023 को मय प्रार्थीया के साथ अप्रार्थीया गीता द्वारा की गई मार पीट की फोटो एवं अन्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय से अनुतोष चाहा गया कि अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी के साथ किए जा रहे गैर कानूनी कृत्यों को देखते हुए परिवादिनी की जान माल की सुरक्षा की जावे और अप्रार्थीया को आदेशित किया जावे कि वह परिवादिनी के मकान संख्या 239/21 सिन्ध

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलेक्टर
अजमेर

बाडी "बी ग्रुप" सुखाडिया नगर, अजमेर (राज) से अपने आप को हटा लेवे, व उसमें प्रवेश नहीं करे और ना ही परिवादिनी व उसके परिजनों के सथ कोई बुरा व्यवहार करे। साथ ही साथ परिवादिया को अप्रार्थीया से रू 5000/– प्रतिमाह परिवादिया के भरण पोषण हेतु दिलाये जाने बाबत उचित आदेश प्रदान किया जावे। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के उक्त परिवाद पर अपने निर्णय दिनांक 19.04.2024 के तहत आदेश पारित किए कि "अतः अप्रार्थीया को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थीया को किसी तरह से यथा शारीरिक एवं मानसिकं रूप से प्रताडित नहीं करेगी। यदि ऐसी कोई शिकायत होती है तो थानाधिकारी पुलिस थाना क्लॉक टावर, अजमेर नियमानुसार सख्त कार्यवाही करेंगे।" उक्त निर्णय के बाद अप्रार्थीया का प्रार्थीया के प्रति आतंक दुगुना हो गया है अब तो वह प्रार्थीया अर्थात उसकी मॉ जिसे वह स्वर्गीय कहते हुए सम्बोधित करती आई है, अब कहने लगी है बुढिया तुझे तो मै स्लो पोईजन देकर मार दूंगी और फिर तेरी बेटी को किसी न किसी झुठे मामले में गिरफ्तार करवाकर तेरे बेटो को ब्लेकमेल कर उनसे पैसा मंगवाउगी तथा कहती है कि वह प्रार्थीया की शक्ल तक देखना पसन्द नहीं करती है, निर्णय आने के बाद अब वह कहने लगी है कि प्रार्थीया के इस घर से अप्रार्थीया गीता नहीं बल्कि प्रार्थीया को जाना होगा ओर अब जल्द ही प्रार्थीया की जब इस घर से निकलेगी तो ही जाकर अप्रार्थीया को चैन आएगा और वह सरे आम धमकी देने लगी है कि चाहे कुछ भी कर लो कोई न्यायालय या कोई भी कानून उसका कुछ नही बिगाड सकता है, वो जो चाहेगी वही होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित आदेश पारित करते हुए मूल अधिनियम जो कि प्रथम दृष्टया वृद्ध नागरिको की दयनीय स्थिति से उन्हें उबारने व उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, को सीधा–सीधा नजर अंदाज किया है जबकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत जवाब को सत्य मानते हुए जो विवादित आदेश दिया गया है उसका खुलासा तो यहीं हो जाता है कि प्रार्थीया के पिता कोई बिजनिसमेंन नहीं थे अपितु पेशे से एक अकाउन्टेन्ट थे जो मूलभूत जानकारी भी अप्रार्थीया को नहीं होना अवश्य ही एक आश्चर्य की बात है। वही अप्रार्थीया का अपने जवाब में यहॉ तक अंकित कर देना कि उसके पिता का देहान्त 20 वर्ष पूर्व हुआ बल्कि सत्य यह है कि अप्रार्थीया के पिता अर्थात प्रार्थीया के पति का देहान्त 30 वर्ष पूर्व हो चुका है, जब इस प्रकार की मूल भूत जानकारियॉ ही अप्रार्थीया को ध्यान नहीं है तो माननीय अपीलीय न्यायालय स्वयं से समझ सकते है कि अप्रार्थी किस प्रकार की प्रवृति की एक सेल्फ सैन्टर्ड महिला है जिसका मूल उदेश्य अपने सगी माता से पैसे हथियाना है, उसे इस वृद्ध अवस्था में इस कदर प्रताडित करना है कि प्रार्थीया इस तनाव भरे जीवन से मुक्ति पाने के लिए स्वयं से अपने आप को मार देवे। अतः इस आधार पर विवादित निर्णय/आदेश दिनांक 19.04.2024 अपास्त फरमाए जाने योग्य है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाते हुए विवादित निर्णय/आदेश दिनांक 19.04.2024 को अपास्त फरमाया जाकर अप्रार्थीया को प्रार्थीया की स्वअर्जित अजमेर में सुखाडिया नगर स्थित आवासीय सम्पत्ति मकान नं0 239/21 से अपना सारा समान आदि लेकर उसे खाली किए जाने बाबत आदेश विरूद्व अप्रार्थीया गीता कांजानी को सम्पत्ति को खाली किए जाने व उक्त संपत्ति/मकान से अपने खर्च पर किसी किराये के मकान में शिफ्ट होने के लिए आदेशित करे ताकि प्रार्थीया अपने जीवन के बचे हुए दिनो में शान्तिपूर्वक अपनी सम्पत्ति में रहते हुए जीवन व्यतीत कर सके जो कि न्यायसंगत होगा एवं प्रार्थीया द्वारा अब तक सही जाने वाली समस्त शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक यातनाओ का सटीक निवारण होगा।

जिला कलक्टर
अजमेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1, ने जवाब प्रस्तुत कर अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि प्रकरण संख्या 39/2023 श्रीमति पुष्पा कांजानी बनाम श्रीमति गीता कांजानी को पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अजमेर भरण पोषण अधिकरण अजमेर अपने निर्णय दिनांक 19.04.2024 को गुणावगुण पर निर्णित किया जा चुका है। प्रार्थीया अपीलार्थी यह सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित करे कि उक्त सम्पत्ति को प्रार्थीया अपीलार्थी ने क्रय किया गया हो या स्वयं की कोई निजी आय से क्रय किया गया हो, जहॉ तक अप्रार्थीयां रेस्पोडेंट को जानकारी है, उक्त सम्पत्ति अप्रार्थीया रेस्पोडेंट के पिता, अर्थात प्रार्थीया अपीलार्थी के पति द्वारा स्व–अर्जित की गई आय से प्रार्थीया अपीलार्थी के नाम क्रय की हुई होकर अवस्थित है, जिस सबंध में माननीय अधिनस्थ न्यायालय में भी निवेदन किया जा चुका था, उसके बावजूद प्रार्थीया अपीलार्थी द्वारा जो तथ्य जिस प्रकार से पुनः अंकित करते हुये अपने आप को तन्हा एक रूप से मालिक बताये जाने का प्रयास किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय में अंकित किये गये कथनों से हटकर, प्रार्थीया द्वारा क्रय करने के बाद प्रार्थीया ने निर्माण करवाया गया है, ऐसा कोई अभिकथन अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया अपीलार्थी द्वारा अंकित नही किया गया था, ना ही वर्तमान अपील में ऐसा कोई कथन है, कि अधिनिस्थ न्यायालय में प्रकरण दायर किये जाने के बाद प्रार्थीया अपीलार्थीया द्वारा किसी प्रकार से निर्माण करवाया हो, प्रार्थीया अपीलार्थी अपने कथनो को वर्णित प्रारूप में पूर्णतया प्रमाणित करे। प्रार्थीया का छोटा भाई हरिश कांजानी दुबई में जॉब करता है वही दूसरा छोटा भाई नरेश कांजानी की स्वयं की स्पेन में दुकान है, प्रार्थी की बडी बहन दीपा कांजानी भी स्वयं प्रार्थीया अपीलार्थीया के अभिकथनानुसार विदेश में रहती है जो भी विदेश में ही जॉब में है, वही छोटी बहन नीता अजमेर में ही रहते हुये प्राईवेट जॉब में है। प्रार्थीया अपीलार्थीया द्वारा स्वयं के परिवार के अन्य सदस्यो के बहकावट में आकर अप्रार्थीया रेस्पोडेंट को बिल्कुल अलग किया हुआ होकर अप्रार्थीया रेस्पोडेंट उक्त सम्पत्ति में एकाकी रूप से निवास कर रही है। जबकि अप्रार्थीया रेस्पोडेंट भी प्रार्थीया अपीलार्थीया की पुत्री है, यह बोलना कतई गलत है कि अप्रार्थीया रेस्पोडेंट कोई क्रिमनल प्रकृति की हो या क्रिमनल प्रकृति की महिला बन गई हो। यह कहना कतई गलत है की कोई अप्रार्थीया रेस्पोडेन्ट ने पैसो के लालच में फ्रॉड करना शुरू कर दिया गया हो या कोई फ्रॉड किया गया हो, अप्रार्थीया रेस्पोडेंट का ऐसा कोई किसी प्रकार का कृत्य कभी नही रहा कि जिससे प्रार्थीया अपीलार्थीया को या अन्य किसी को किसी प्रकार से भयभीत रहने तक की आशंका हो। अतः जो जिस प्रकार से अप्रार्थीया रेस्पोडेंट द्वारा अनेको तरीको/हथकण्डो से प्रार्थीया अपीलार्थीया को हैरान परेशान करने बाबत या किसी प्रकार से कभी भी अपनी माता प्रार्थीया अपीलार्थीया से गाली गलौच करने बाबत कोई चोरिया करने बाबत, या कोई बुरी आदते तथाकथित अनुसार अपना लेने बाबत कोई घर में रखी वस्तुओ का प्रार्थीया अपीलार्थीया द्वारा नुकसान पहुॅचाने जाने बाबत प्रार्थीया की आलमारी का ताला तोडने या कोई रूपये पैसे या ज्वेलरी चुराने बाबत व अन्य तथ्य जिस प्रकार से प्रार्थीया अपीलार्थीया ने अंकित किये है वह अत्यधिकवेग व अस्पष्ट है, जहॉ एक ओर प्रार्थीया अपीलार्थीया को अप्रार्थीया रेस्पोडेंट द्वारा गाली देना ताने देना वस्तुओ को नुकसान पहुॅचाये जाने का कथन किया गया है, तो ऐसा अप्रार्थीया रेस्पोडेंट क्यो, कब करती है, का कोई अंकण नही किया गया है, ऐसा कोई कथन प्रार्थीया अपीलार्थीया का नही है कि अप्रार्थीया मंदबुद्वी हो या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, अतिमहत्वूपर्ण तथ्यों को प्रार्थीया अपीलार्थीया ने अंकित नही किया है, जिससे ही प्रार्थीया अपीलार्थीया को असद्भाविकता स्पष्ट है, अप्रार्थीया रेस्पोडेंट ने अपनी माता को कभी गाली नहीं दी, ना कभी

जिला कलक्टर
अजमेर

कमरो का या आलमारी का ताला तोडा, ना कभी कोई किसी प्रकार से ज्वेलरी चुराई, यदि ऐसा होता तो प्रार्थीया अपीलार्थीया चुप नही रहती कभी भी कार्यवाही कर चुकी होती। प्रार्थीया अपीलार्थीया का यह कथन कि अप्रार्थीया रेस्पोडेंट ने ज्वेलरी चुरा कर मुथुट फाईनेंस रामगंज अजमेर में गिरवी रख गोल्ड लोन लिया गया हो बिल्कुल गलत है, वरन रकम की प्रार्थी अपीलार्थीया स्वयं को अपने व परिवार अपने के लिए आवश्यकता रही, जिसके चलते प्रार्थीया अपीलार्थीया स्वयं द्वारा अप्रार्थीया रेस्पोडेंट को गोल्ड को बैंक में रख कर गोल्ड लोन लाकर देने व प्रार्थीया अपीलार्थीया स्वयं उसका चुकारा कर छुडवा लेगी का कथन कर मंगवाया गया, अतः जो जिस प्रकार का आरोप प्रार्थीया अपीलार्थी या उक्त गोल्ड लोने को नहीं चुका कर उसे चुकाया जाने हेतु अप्रार्थीया रेस्पोडेंट पर दबाव बनाया जाने की नियत से लगाया जिसका कोई फायदा प्रार्थीया अपीलार्थीया प्राप्त करने की अधिकारीनी नहीं है। जब कभी किसी प्रकार से कोई पैसो का गबन, हेराफेरी ही अप्रार्थीया रेस्पोडेंट द्वारा नही की गई तो ऐसा करने का या उसमें माहिर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, यह कहना कतई गलत है कि अप्रार्थीयां लोगो से कोई राशि उधार लेती हो या कोई चैक व खाली स्टाम्प देती हो। वरन समय समय पर प्रार्थीया को रकम की आवश्यकता होने से व अप्रार्थीया जो कि स्वयं पढी लिखी होकर ट्यूशन पढाती है, के अभिभावको माता–पिता से उधार राशि मॉगने हेतु दबाव बनाया जाकर अप्रार्थीया से प्राप्त करवाती आई जिसके चलते कभी अप्रार्थीया को उक्त अभिभावको ऋण दाताओ के चाहे अनुसार यदि ब्लैक स्टाम्प देने पड़े, तो जब भी प्रार्थीया के पास रकम की व्यवस्था होने पर अप्रार्थीया की गेर मौजूदगी में उनको राशि चुकाई जाकर प्रार्थीया ने वह स्टाम्प प्राप्त किये जाकर अपने पास रख लिये हो तो उसको यह नहीं माना जा सकता है कि अप्रार्थीया द्वारा राशि उधार ली हो या उसका चुकारा प्रार्थीया ने किया हो, यदि उसमें जरा भी सत्यता होती तो प्रार्थीया कभी तो उक्त बाबत कोई कार्यवाही करती। प्रार्थीया अपीलार्थीया के कथनानुसार चोरनी होती, या कोई हेराफेरी करने की या कोई गबन करने की आदि होती या लोगो से पैसा लेकर चुकारा नही करने की आदि होकर अपनी माता प्रार्थीया अपीलार्थीया को ही भयांकित करते हुये उससे पैसे लेने की आदि होती तो उसे ट्यूशन पढाये जाने की आवश्यकता ही नही होती, ना ही अप्रार्थीया ट्यूशन पढा कर आय अर्जित करती। प्रार्थीया द्वारा दी गई शिकायत पर पुलिस ने प्रार्थीया अपीलार्थी का मन रखा जा सके की भावना से अप्रार्थीया रेस्पोडेंट के विरूद्व 107, 116(3) का परिवाद बनाया जाकर प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थीया रेस्पोडेंट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्ण सही व वास्तविक तथ्यों को रखने पर अप्रार्थीया रेस्पोडेंट के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा अप्रार्थीया रेस्पोडेंट को जमानत पर सी समय रिहा भी कर दिया गया था। जो फोटोज प्रार्थीया अपीलार्थीया ने प्रस्तुत करते हुये अप्रार्थीया रेस्पोडेंट द्वारा चोटे कारित करने का आरोप लगाया है, वह कतई गत है, उनका मेडिकल करवाये जाने पर उक्त चोटो के निशान बहुत पुराने होकर अप्रार्थीया रेस्पोडेंट द्वारा कारित किये गये कतई प्रतीत नही होगे। अपील तथ्यों व विधि प्रावधानो के विपरीत होकर प्रतिकल उदेश्यो की प्राप्त की नियत से अप्रार्थीया रेस्पाडेंट परदबाव बनाया जा सके की भावना से तथा अप्रार्थीया रेस्पोंडेंट भी अपना वेतन छोडकर विदेश भाई के पास जाकर उनका सहयोग करे, हेतु दबाव बनाया जा सके की नियत से प्रस्तुत की गई है। जब अप्रार्थीया रेस्पोडेंट स्वयं द्वारा अंकित अनुसार अप्रार्थीया रेस्पोडेंट के विरूद्ध दैनिक समाचार पत्र में अप्रार्थीया से सबंध सरोकार नहीं होने बाबत वचल अचल सम्पत्ति से बेदाल करने बाबत आम सूचना प्रकाशित करवाये जाने का कथन कर रही है, तो प्रार्थीया अपीलार्थीया स्वयं किसी प्रकार

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

से अप्रार्थीया रेस्पोडेंट से कोई राशि की मांग करने की अधिकारीनी नही रहती है, प्रार्थीया अपीलार्थीया हॉट एंड कोल्ड दोनो एक साथ एक हाथ में नही रख सकती है जिस बाबत अधिनस्थ न्यायालय में निवेदन किया गया जिसके चलते ही अपील में उक्त आधार को प्रेस नहीं करने का कथन कर बेदखली का अनुतोष मात्र चाहा गया है, तो वह भी उक्त अधिनियम के तहत प्रार्थीया अपीलार्थीया प्राप्त करने की अधिकारीनी नहीं है, किसी प्रकार का हक व अधिकार प्रार्थीया अपीलार्थीया को होने या समझने पर उक्त बाबत सिविल न्यायालय में ही कार्यवाही कर सकती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमावे।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यों हमारे समक्ष व्यक्त कथनों, उनकी वृद्धावस्था, अस्वस्थता एवं उनकी वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय 39/2023 दिनांक 19.04.2024 न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट इस हद तक आंशिक स्वीकार की जाती कि रेस्पोडेन्ट अपने स्वयं के पृथक रहवास की व्यवस्था करने तक अपीलान्ट के वर्तमान रहवास का ही उपयोग उपभोग न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अजमेर जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश 39/2023 दिनांक 19.04.2024 से 6 माह तक करेंगे व छह माह बाद अपीलान्ट के मालिकाना हक की उक्त सम्पत्ति मकान संख्या 239/21, सिन्धु बाड़ी,''बी ग्रुप'' सुखाडिया नगर, अजमेर (राज0) में किसी भी प्रकार से उपयोग व उपभोग नही करेंगे तथा आवासीय सम्पत्ति को खाली कर अपीलान्ट को सुपुर्द करेगें। अपीलान्ट को किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक परेशानी कतई नहीं हो इसका पूर्ण रूप से ख्याल रखें। रेस्पोडेन्ट को जरिये इस आदेश पाबन्द किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति बाबत किसी प्रकार का लडाई–झगड़ा, विवाद नहीं करें। इस आशय की लिखित अण्डर टेंकिग न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अजमेर के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अजमेर हाजा न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करावें, आदेश की तनिक भी अवहेलना होने पर अधिनियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर